# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

**पीठासीन अधिकारीः– प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)**
राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्याः– 59/114
जीसीएमएस नंबरः– 2014/00094

**प्रार्थीः–**

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति नाई, निवासी ग्राम दांतीवाड़ा, तह. व जिला जोधपुर।

**अप्रार्थीः–** **बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जोधपुर।
2. भीमराज पुत्र श्री राम जाति नाई निवासी चैनपुरा जोधपुर।

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते रेकर्ड दुरस्त**

**–::आदेश::–**

उपस्थितिः– 1. प्रार्थी स्वं. उपस्थित। दिनांकः21.08.2025
2. सरकारी पैरोकार अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजो सुरपुरा का खसरा सं. 340 रकबा 23.19 बीघा किस्म बारानी प्रथम लगान 10.50 रूपये के खातेदार पांच नाईयान मारू श्रीराम बल्द आसु कौम नाई मारू सा. चैनपुरा रामनारायण बेटा मोडा रा नाई को नाईयों की प्याउ के लिए पट्टा दिया गया था। जबकि उक्त भूमि का भू–प्रबंध पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में गलत अमल दरामद होने से मारू नाई समाज के स्थान पर श्रीराम वल्द आसु कौम नाई एक व्यक्ति के नाम का करवा दिया गया था। श्रीराम पुत्र आसुराम दिनांक 17.07.1980 को व उनकी पत्नी मेहताबाई दिनांक 22.08.1996 को फौत हो गए। उनके गोदपुत्र श्री भीमराज सांखला ने अपने आपको खातेदार श्रीराम का एकमात्र जायंदा संतान एवं वारिसान बताते हुए एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र दिनांक 25.03.2013 को हल्का पटवारी सुरपुरा के समक्ष प्रस्तुत कर विरासत का नामा. अपने पक्ष में दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। हल्का पटवारी ने दिनांक 02.04.2013 को श्री भीमराज पुत्र स्व. श्रीराम नाई के पक्ष में नामा. सं. 617 दायर कर दिनांक 18.04.2013 को भू.अ. निरीक्षक जाजीवाल से जांच करवाकर ग्राम पंचायत सुरपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा ग्राम पंचायत ने नामा. पर वारिसान संबधी स्थिति संदिग्ध होने से नियमानुसार निष्पक्ष जांच एवं निर्णय हेतु तहसीलदार जोधपुर को प्रेषित किया। तहसीलदार जोधपुर ने हल्का पटवारी से उक्त प्रकरण में जांच करवाई गई। पटवारी रिपोर्ट अनुसार भीमराज को श्रीराम का गोद पुत्र होना बताया लेकिन उसके पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और न ही भीमराज की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है। श्रीमान् तहसीलदार जोधपुर ने विधिक प्रक्रिया का पूर्ण वाहन करते हुए प्रार्थी एवं अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर तथ्यों का गहन परीक्षण के बाद ग्राम सुरपुरा के दायर नामा. सं. 617 को निरस्त करते हुए निर्णय दिनांक 25.02.2014 पारित किया गया जिसमें भीमराज को उक्त भूमि का वारिस नहीं माना। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त भूमि पंच नाईयान मारू श्रीराम वल्द आसु कौम नाई मारू साकिन चैनपुरा रामनारायण बेटा मोडा रा नाई को नाइयों की प्याउ के लिए पट्टा दिया गया था। भू–प्रबंध पश्चात् पट्टा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने से यह प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरूस्ती की शुद्धि हेतु श्रीमान् को पेश कर निवेदन है कि मौजा सुरपुरा के खसरा सं. 340 रकबा 23.19 बीघा का नामा. मारू समाज नाईयों के नाम से भरा जाने हेतु विधिक पक्रिया अपना कर निर्णय किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

प्रार्थना पत्र पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 को उचित समय दिए जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब बंद किया गया।

तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी श्री ओमप्रकाश द्वारा किया गया कथन कि उक्त भूमि पंच नाईयान मारू श्रीराम वल्द आसु नाई मारू साकिन चैनपुरा रामनारायण बेटा मोडा रा नाई को नाईयों की प्याउ के लिए पट्टा दिया गया था। भू–प्रबंध पश्चात् पट्टा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने से यह प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरूस्ती की शुद्धि हेतु पेश किया है। मौजा सुरपुरा के खसरा सं. 340 रकबा 23.19 बीघा किस्म बा.। राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 139 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के अपील/एलआर/6452/2014 निर्णय दिनांक 14.10.2022 की पालना में नामा. सं. 938 स्वीकृत दिनांक 01.11.2022 के जरिए प्रश्नगत भूमि श्रीराम पुत्र आसुराम जाति नाई सा. देह खातेदार के स्थान पर समस्त मारू नाई समाज की प्याउ की गैर मुमकिन भूमि के नाम से दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में भी उक्त भूमि को मारू समाज नाईयों के नाम जरिए नामा. शुद्धि किए जाने का निवेदन किया है। अतः प्रार्थना पत्र में वांछित वर्णित निवेदन अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में जरिए नामा. अमल दरामद कार्यवाही की जा चुकी है।

बहस हेतु उचित समय दिए जाने के बावजूद अप्रार्थी सं. 2 अनुपस्थित। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस करते हुए कथन किया कि कि उक्त खसरान् की भूमि बापी पट्टा संवत 2007 में श्रीराम पुत्र आसुराम नाई को दिया था। अपनी खातेदारी भूमि का श्रीराम जी ने अपने संपूर्ण जीवनकाल में निर्विवादित शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग करते रहे थे। श्रीराम पुत्र आसुराम नाई के कोई जायंदा पुत्र या पुत्रियां नहीं थी। श्रीराम एवं उनकी धर्मपत्नी ने अपने संपूर्ण जीवनकाल में न ही किसी को अपनी जायदाद का वारिस बनाए बिना श्रीराम की मृत्यु 17.07.1980 में हो गई एवं उनकी धर्मपत्नी मेहताब बाई की मृत्यु 22.08.1996 को हो गई थी। राजस्थान टिनेन्शी एक्ट 1955 की धारा 3 निर्वासन (अवसन) की परिस्थितियां धारा 63 में नौ ऐसी परिस्थितियां है जब अभिधृतियां निर्वासित (समाप्त) हो जाती है जो इस प्रकार हैः– 1. बिना वारिस मर जाने पर 2. उसका अन्यपर्ण या परित्याग कर देने पर, 3. भूमि को सरकार द्वारा अर्जित कर लेने पर, 4. कब्जे से वंचित कर देने पर, 5. बेदख किए जाने पर, 6. भू–धारक के अधिकार अर्जित कर लेने पर, 7. उसका विक्रय या दान कर देने पर, 8. विदेश चले जाने पर, 9. आवंटन निरस्त हो जाने पर। इन परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में भी राजस्व अधिकारी उस जोत का कब्जा प्राप्त करेगा और पटवारी उसका नामा. खोलकर ग्राम पंचायत से तस्दीक करवाएगा। बिना किसी वारिस पीछे छोड़े मृत्यु हो जावे (खण्ड–(1)) यदि किसी अधिकारी या प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वारिस नहीं हो तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी जोत में हित समाप्त हो जावेगा व भूमि रिक्त (खालसा) हो जाएगा और उसका अधिग्रहण कर लिया जावेगा। परंतु जहां तक कोई विधिक प्रत्यक्ष वारिस है तो अभिनिर्धारित की (राजस्थान)स्वामित्व अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। उक्त प्रकरण में खातेदार श्रीराम जी व उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु बिना वारिस पीछे छोड़े मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु के बाद उनकी जोत में का हित समाप्त हो गया था व भूमि रिक्त खालसा हो गई थी। इस परिस्थिति में श्रीमान् न्यायालय तहसीलदार जोधपुर को आदेश फरमावे कि उक्त रिक्त (खालसा) भूमि का कब्जा प्राप्त करे एवं पटवारी हल्का को राज्य सरकार के खातेदारी का नामा. खोलकर ग्राम पंचायत से तस्दीक करावें।

लिखित बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध समग्र दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वर्तमान प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नियम की धारा 136 निम्न हैः– "भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे। परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी तब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो''।

उक्त धारा में 2 शर्तें हैः–

1 लिपिकिय त्रुटि ही शुद्ध की जा सकती है।

2 उक्त लिपिकिय त्रुटि सभी हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे।

वर्तमान प्रकरण में उक्त भूमि पंच नाईयान मारू श्रीराम वल्द आसु नाई मारू साकिन चैनपुरा रामनारायण बेटा मोडा रा नाई को नाईयों की प्याउ के लिए पट्टा दिया गया था। भू–प्रबंध पश्चात् पट्टा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरूस्ती की शुद्धि हेतु प्रस्तुत किया है। मौजा सुरपुरा के खसरा सं. 340 रकबा 23.19 बीघा किस्म बा.ा राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 139 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के अपील/एलआर/6452/2014 निर्णय दिनांक 14.10.2022 की पालना में नामा. सं. 938 स्वीकृत दिनांक 01.11.2022 के जरिए प्रश्नगत भूमि श्रीराम पुत्र आसुराम जाति नाई सा. देह खातेदार के स्थान पर समस्त मारू नाई समाज की प्याउ की गैर मुमकिन भूमि के नाम से दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी उक्त भूमि को मारू समाज नाईयों के नाम शुद्धि किए जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गए अनुतोष अनुसार मारू नाई समाज की प्याउ की गैर मुमकिन भूमि दर्ज की जा चुकी है। लिखित बहस में प्रार्थी द्वारा किए गए कथन कि खातेदार श्रीराम व उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी जोत का हित समाप्त हो गया था व भूमि खालसा हो गई थी। इस परिस्थित में खालसा भूमि दर्ज करने हेतु तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जावे भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की परिधि में नहीं आता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम सुरपुरा के खसरा सं. 340 रकबा 23.19 बीघा भूमि मारू नाई समाज की प्याउ की गैर मुमकिन भूमि पूर्व में ही दर्ज होने से प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष प्रार्थी को पूर्व से ही प्राप्त हो गया है किंतु उक्त भूमि को खालसा दर्ज किया जाना भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की परीधी में नहीं आने से ऐसा कोई अनुतोष प्रार्थी इस आदेश में प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रह जाने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

( प्रीतम कुमार ) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 21/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)